दिनांक 10.03.2025 को सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय बैठक की समीक्षा की कार्यवाही:–

समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया है:–

1. विभागीय पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिलों में आयोजित कार्यक्रम/निरीक्षण आदि की विडियोग्राफी /फोटोग्राफी हेतु स्थानीय स्तर पर कैमरा मैन की व्यवस्था संबंधित ईख पदाधिकारी करेंगे एवं इसका भुगतान संबंधित ईख पदाधिकारी करेंगे और विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का फोटो Whats App पर श्रीमती पूजा कुमारी सहायक निदेशक सह जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग एवं आई०टी० प्रबंधक गन्ना उद्योग विभाग को प्रेषित करेंगे ।
अनुपालनः– सभी जिला के क्षेत्रीय पदाधिकारी ।

2. विभाग में लंबित एसी/डीसी बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की भी समीक्षा की गई।
लंबित एसी/डीसी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विवरणी में अंकित प्रतिवेदन के अनुसार विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग का 4,08,967/–, उप निदेशक, ईख विकास, पटना का 58,32,200/–जिसे विलोपित करने हेतु पत्र–215, दिनांक–06.03.2025 निर्गत है। उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर का 1,10,52,398/–में से 97,02,398/– का अभिश्रव अप्राप्त है। सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान का 2,50,000/–, सहायक निदेशक ईख विकास, सहरसा का 12,31,390/– में से 1,00,000/–का डी०सी० विपत्र प्रेषित शेष 11,31,390/– का मामला लंबित है। ईख पदाधिकारी, गोपालगंज का 10,42,14,000/–के विलोपित करने हेतु पत्र सं०–211 दिनांक–05.03.2025 प्रेषित। सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया का 16,40,000/–,सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा का 71,46,478/–तथा सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी का 5,81,194/– है। बैठक में निर्देश दिया गया कि लंबित राशि के डाटा जाँच कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय। मुख्यालय स्तर पर काफी एसी/डीसी बिल लंबित है। इस पर ईखायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रेगुलेटरी शाखा और विकास शाखा से एसी/डीसी बिल की अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध करा दी जायेगी। लंबित एसी/डीसी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का यूसी आया है उसका भुगतान अगले सप्ताह तक की जाय।

3. संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को निदेश दिया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय/वित्त विभाग जाकर मामले को विलोपित कराएंगे, जिसका पत्र निर्गत है।

4. श्री अरविन्द कुमार, उप निदेशक पूसा से लंबित एसी/डीसी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र को ससमय ऑडिट नहीं कराने हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।
अनुपालनः– विशेष कार्य पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पदाधिकारी/

5. विभाग के अन्तर्गत चल रहे न्यायिक मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में दिनांक–10.03.2025 तक लंबित न्यायिक वादों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:–

Sl. No.	Case Name & No.	Subject	Advocate Name	Relation	Remarks
1	CWJC No.- 9604/2024 Shamsuddin Ansari Vs The State of Bihar & ors.	याचिकाकर्ता बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई न्यू सावन के सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए थे। बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वाद दायर किया गया है।	Jitendra Kr Raj SC-13 Patna High Court	निगम स्तर से कार्रवाई की जा रही है।	विभागीय पत्रांक–1059/ई०का० दिनांक–15.10.2024 के द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम को संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का अनुरोध किया गया है।
2	CWJC No.- 3719/2025 Shambhu Sharan Singh Vs The State of Bihar & ors.	याचिकाकर्ता द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई बिहटा के कर्मी थे। इनके द्वारा बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वाद दायर किया गया है।	Anuradha Singh SC-21 Patna High Court	निगम स्तर से कार्रवाई की जा रही है।	बिहार राज्य चीनी निगम को संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का अनुरोध किया गया है।
3	CWJC No.- ----/2025 Indira Nand Thakur & ors. Vs The State of Bihar & ors.	याचिकाकर्ता द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई लौहट के कर्मी थे। इनके द्वारा बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वाद दायर किया गया है।	Nadim Siraj GP-5 Patna High Court	निगम स्तर से कार्रवाई की जा रही है।	बिहार राज्य चीनी निगम को संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षा में CWJC का उक्त 03 मामला लम्बित हैं और MJC का लम्बित मामला शून्य है। निर्देश दिया गया कि कोर्ट केस से संबंधित जिन मामलें में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया है, वैसे मामलों में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन मॉनेटरिंग कर सरकारी अधिवक्ता से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे और संबंधित वाद में अनुपूरक प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दायर कराने की कार्रवाई करेंगे। लंबित 03 CWJC में प्रतिशपथ दायर करने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

अनुपालन :– प्रबंध निदेशक

6. महालेखाकार के द्वारा विभाग के पूर्व के बर्षों में किये गये ऑडिट के दौरान की गई आपत्ति प्रतिवेदन लंबित है। के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों/लेखा शाखा के कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑडिट/निरीक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति की गई है उसका निराकरण कर अविलंब प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रशाखा पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी महालेखाकार कार्यालय जाकर दिनांक– 17.03.2025 तक विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। शेष के लिए शीघ्र कार्रवाई करेंगे। लम्बित मामले को अविलंब संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को स्मार देकर प्रतिवेदन प्राप्त कर मामले का निराकरण करेंगे।

अनुपालनः– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी

7. सभी नियमित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को HRMS, CFMS का ट्रेनिंग लेंगे और अवकाश संबंधी आवेदन HRMS के माध्यम से समर्पित करेंगे।

अनुपालनः– आई0 टी0 प्रबंधक।

8. सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से उनके कार्य की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को HRMS, CFMS, E-Office, Power Point Presentation बनाना, VC कनेक्ट करना आदि के ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही निदेशित किया जाता है कि अगले सोमवार तक सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर पिछले सप्ताह के कार्यों के संबंध में एक PPT बनाकर प्रस्तुत करेंगे।

अनुपालनः– आई0 टी0 प्रबंधक।

11/03

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक 250. पटना/दिनांक– 11. मार्च, 2025

प्रतिलिपिः–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुलिपिक/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त मुख्यालय/उप सचिव/विशेष ईख पदाधिकारी, पटना/गन्ना उद्योग विभाग के सभी ईख पदाधिकारी एवं अन्य सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग